नगरपालिका अधिनियम प्रकरण सं0 65/2018 (RCMS 2018/00) रघु शर्मा पुत्र श्री रामचन्द जाति शर्मा निवासी वार्ड नं 19, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. अध्यक्ष, नगरपालिका श्रीगंगानगर अनिता रानी जोहिया 2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.07.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा उपस्थित है। एडमिशन के बिन्दु पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने नगरपालिका, पदमपुर द्वारा आदेश क्रमांक 1711–1721 दिनांक 26.06.2018 द्वारा अख़बारों में प्रकाशित की गई आवासीय भूखण्डों की नीलामी को रूकवाये जाने एवं निरस्त करने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि पैटीशनर रघु शर्मा पुत्र रामचन्द्र द्वारा धारा 285 नगरपालिका अधिनियम 1959 के तहत पेश की गई हैं। जबकि 1959 का उक्त अधिनियम रिपील हो चुका है और उसके स्थान पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 प्रभाव में आ चुका है। पूर्व अधिनियम की धारा 285(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.11.1975 के नोटिफिकेशन से सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों को कार्यवाही करने हेतु अपने–अपने क्षेत्राधिकार में स्थित नगरपालिकाओं के लिए शक्तियां प्रदान की गई है और सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुष्ट/अपुष्ट करने व संशोधित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को शक्तियां धारा 285(2) में दी गई है, जिसमें सम्बन्धित नगरपालिका को ही सुने जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम 1959 की धारा 285(2) के तहत राज्य सरकार की शक्तियां सम्बन्धित नोटिफिकेशन दिनांक 29.11.1975 के द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर को दी गई है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 रिपील हो चुका है और उसके स्थान पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 प्रभावशील है और उक्त धारा 285(1) व 285(2) वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312(1) व 312(2) के रूप मे स्थापित है। जिसमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार वर्तमान में भी पूर्वानुसार धारा 285(1) व 285(2) के समान ही है।

इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 285(1) के तहत पूर्व में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी ही सक्षम थे और अब नया कानून राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312(1) के तहत भी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी ही कार्यवाही करने में सक्षम है। इसलिए उक्त नगरपालिका अधिनियम 1959 रिपील होने के कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और अपीलार्थी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नियमानुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।

यह आदेश आज दिनांक 25.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर